पत्रांक–7/पद सृजन–15–03/2026सा0प्र0 ...../

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक, रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक.....

विषयः– **पटना न्यायमंडल में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक वादों के निष्पादन के लिए मुख्यालय में जिला न्यायाधीश स्तर के दो अतिरिक्त न्यायालयों को अनन्य वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करने के निमित्त जिला न्यायाधीश स्तर के एक–एक अर्थात् कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1876 दिनांक 27.02.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–16759 दिनांक 21.02.2026 एवं पत्रांक–44136 दिनांक 12.05.2026 द्वारा पटना न्यायमंडल में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक वादों के निष्पादन के लिए मुख्यालय में जिला न्यायाधीश स्तर के दो अतिरिक्त न्यायालयों को अनन्य वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करने के निमित्त जिला न्यायाधीश स्तर के एक–एक अर्थात् कुल 02 (दो) पदों को सृजित करने की अनुशंसा संसूचित की गयी है।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उक्त पत्र के साथ संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद के सम्मुख वेतनमान में ₹ 6436920/– (चौंसठ लाख छत्तीस हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से पटना न्यायमंडल में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक वादों के निष्पादन के लिए मुख्यालय में जिला न्यायाधीश स्तर के दो अतिरिक्त न्यायालयों को अनन्य वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करने के निमित्त जिला न्यायाधीश स्तर के एक–एक अर्थात् कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय–बजट शीर्ष वही होगा, जो राज्य के व्यवहार न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों का होगा एवं संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7 / पद सृजन–15–03 / 2026सा0प्र0 19330 / पटना–15, दिनांक 29.10.26

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–16759 दिनांक 21.02.2026 एवं पत्रांक–44136 दिनांक 12.05.2026 के प्रसंग में / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1876 दिनांक 27.02.2026 के प्रसंग में / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.10.2026 के मद संख्या–37 के प्रसंग में / संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/10/26.

सरकार के अपर सचिव।

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–03/2026

# Statement of Annual Estimated Expenditure Chart.

| SL. No. | Name of the Post | No. of Post | Pay Scale (P.S.) | Average pay/ Basic pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2 | Annual Pay (Average Pay x Number of Post x 12) | Dearness Allowance @ 58% | Total Annual Estimated Expenditures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | District & Additional Sessions Judge | 02 | 144840-194660 (J-5) | 169750 | 4074000 | 2362920 | 6436920 |
| | | | | | | **Total Rs.** | **6436920** |

{Total (in words) : Rupees Sixty Four Lakh, Thirty Six Thousand and Nine Hundred Twenty Only.}

In addition to above mentioned expenditure other allowances as admissible to the officers of Judicial service from time to time shall also be payable as mentioned below:-

1. Children Education Allowance
2. Concurrent Charge Allowance
3. Conveyance/Transport Allowance
4. Earned Leave Encashment
5. Electricity and Water Charges
6. Higher Qualification
7. Home Ordely/Domestic Help Allowance
8. House Rent Allowance
9. Furniture & Air Conditioner Allowance
10. LeaveTraval Concession/Home Traval Concession
11. Medical Allowance
12. Newspaper and Magazine Allowance
13. Dress Allowance
14. Special Pay for Administrative Work
15. Sumptuary Allowance
16. Phone/Mobile Allowance
17. Transfer Grant

29/10/26

**(Rajnish Kumar)**
Additional Secretary to the Govt.